# म0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में)

CIN: U40109MP2001SGC014880

ब्लॉक नं. 04, शक्ति भवन, रामपुर (मध्य प्रदेश) 482008

क्रमांक मु.अ.(अ.उ.दा.–संधा.एवं निरी.)/स्था./ 2057 जबलपुर दिनांक 8.11.17

## आदेश

इस कार्यालय के आदेश कं 1606-07 दिनांक 23.09.2014 से रू. 19,000/– (रूपये उन्नीस हजार) प्रति माह के पारिश्रमिक तथा सेवा संतोषजनक होने पर प्रति वर्ष 5% की दर से वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि के प्रावधानानुसार संविदा आधार पर कनिष्ठ अभियंता (संविदा) के पद पर तीन वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान की गयी थी ।

इन कनिष्ठ अभियंता (संविदा) द्वारा तीन वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आदेश कमांक अस/एमपीपीटीसीएल/दो/1725, दिनांक 30.05.2016 द्वारा जारी म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 के अनुसरण में इनकी संविदा अवधि आगामी तीन वर्ष हेतु बढ़ाई जाती है । संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित तालिका में उल्लेखानुसार कनिष्ठ अभियंता (संविदा) के पद पर उनके नाम के समक्ष इंगित कार्यालय में संविदा विस्तार की तिथि पर या उसके पश्चात अधिकतम 7 कार्य दिवस में अपनी उपस्थिति देवें, निर्धारित तिथि एवं कार्यालय पर उपस्थिति नही दिये जाने पर संविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी :–

| क्रं. | कनिष्ठ अभियंता का नाम सर्व श्री | संविदा अवधि समाप्त होने की तिथि | संविदा विस्तार की तिथि | कार्यालय का नाम जहाँ संविदा विस्तार पश्चात पदस्थ किया जाता है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पंकज कुमार | 30.10.2017 | 20.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., जबलपुर |
| 2 | राजू चौहान | 30.10.2017 | 20.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., जबलपुर |
| 3 | आशीष पाल शाह | 30.10.2017 | 20.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., सतना |
| 4 | धमेन्द्र सिंह सोलंकी | 30.10.2017 | 20.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., ग्वालियर |
| 5 | अजीत सिंह श्रीवास | 30.10.2017 | 20.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., ग्वालियर |
| 6 | बृजेश कुमार डिगरसे | 31.10.2017 | 21.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., इटारसी |
| 7 | नितिन बिसेन | 02.11.2017 | 23.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., इंदौर |
| 8 | भारत पाटिल | 30.10.2017 | 20.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., इंदौर |
| 9 | रविन्द्र निगवाल | 02.11.2017 | 23.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि.,रतलाम |
| 10 | सुरेन्द्र सोनवंशी | 30.10.2017 | 20.11.2017 | कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि.,दमोह |

उपरोक्त संविदा विस्तार म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आदेश कमांक अस/एमपीपीटीसीएल/दो/1725, दिनांक 30.05.2016 द्वारा जारी म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 में दिये गये प्रावधान एवं उसमें समय–समय पर किये गये संशोधन/विलियन के अधीन होगा। संविदा वृद्धि पश्चात उपस्थिति के पूर्व उन्हें संलग्न परिशिष्ठानुसार संविदा–सेवा अनुबंध का करार रूपये 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में किया जाना अनिवार्य होगा। नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के अतिरिक्त जिन पेपरों पर सेवा अनुबंध निष्पादित किया जाना है, वे अनिवार्य रूप से वाटर मॉर्क पेपर पर ही होंगे।

निर्धारित अनुबंधित अवधि पूर्ण होने पर संविदा स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। संविदा कार्मिक की सेवायें नियोजक द्वारा एक माह की सूचना अथवा इसके एवज में बिना किसी सूचना के एक माह के संविदा पारिश्रमिक (remuneration) का भुगतान करते हुए बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। संविदा कार्मिक भी एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान करते हुए अपनी संविदा सेवाएं समाप्त कर सकता/सकती है।

यदि नियोजक द्वारा संविदा कार्मिक किसी अनाचार/कदाचरण का दोषी पाया जाता/जाती है या इस संविदा के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय–समय पर उसे सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करने का दोषी पाया जाता है तो संविदा कार्मिक की सेवायें, नियोजक द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

संविदा आधार पर नियोजित उपरोक्त अभ्यर्थियों का दर्जा किसी भी दशा में नियोजित कंपनी सेवक का नहीं होगा और न ही वह नियोजक कंपनी में नियमितीकरण का हकदार होगा। संविदा संबंधी सभी शर्तें म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/दो/1725, दिनांक 30.05.2016 द्वारा जारी म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 एवं समय–समय पर इसमें किये गये संशोधन/विलियन के अधीन ही शासित होंगी।

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 के प्रावधान, सेवाशर्तें एवं पारिश्रमिक में संशोधन विचाराधीन है । अतः संशोधनों के लागू होने तक संविदा कार्मिकों को संविदा विस्तार पश्चात उपस्थिति दिनांक से प्रतिमाह वही पारिश्रमिक देय होगा जो अंतिम बार आहरित किया गया था। संशोधन के लागू होने के उपरांत पुनरीक्षित पारिश्रमिक संविदा विस्तार पश्चात उपस्थिति दिनांक से देय होगा ।

**मुख्य अभियंता (अ.उ.दा.–संधा. एवं निरी.)**
**म.प्र.पावर ट्रांस.कं.लि., जबलपुर**

पृष्ठां. क्र॰ मु.अ. (अ.उ.दा.–संधा. एवं निरी.)/स्था./ जबलपुर दिनांक

<u>प्रतिलिपिः–</u>

(1) मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.) म.प्र.पॉवर ट्रांस कं.लिमि. जबलपुर–को उनके पत्र क्र. अस/एमपीपीटीसीएल/तेरह/ई–1/1404 दि. 30.10.2017 के संदर्भ में प्रेषित।
(2) मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर ट्रांस. कं. लिमि. जबलपुर।
(3) संयुक्त सचिव (पी.एंड.पी.एफ.) म.प्र.पॉवर ट्रांस. कं. लिमि. जबलपुर।
(4) अधीक्षण अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),वृत्त, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर ।
(5) कार्यपालन अभियंता (अ.उ.दा.–संधा.),संभाग, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि., जबलपुर/सतना/दमोह/भोपाल/ग्वालियर/इटारसी/इंदौर/रतलाम।
(6) क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि. जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
(7) कल्याण अधिकारी म.प्र. पॉवर ट्रांस. कं. लिमि. जबलपुर।
(8) निज सचिव संबंद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र.पॉवर ट्रांस. कं. लिमि. जबलपुर।
(9) श्री.......................................................................................................................

– कृपया तालिका में उल्लेखानुसार नाम के समक्ष इंगित कार्यालय में संविदा विस्तार की तिथि पर अपनी उपस्थिति देवें । उपस्थिति देते समय नोटराइज्ड संविदा सेवा अनुबंध वांछितानुसार रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित संलग्न प्रपत्र के अनुसार, प्रस्तुत करें। ध्यान रखें, सेवा अनुबंध में किसी भी प्रकार की Cutting/Over-writing न हो।

– सूचनार्थ प्रेषित।

**संलग्नः–** संविदा सेवा अनुबंध प्रपत्र।
(क्र. 09 के लिए)

कार्यपालन यंत्री
कार्या॰ **मुख्य अभियंता (अ.उ.दा.–संधा. एवं निरी.)**
**म.प्र.पावर ट्रांस.कं.लि., जबलपुर**

## (संविदा) पद के लिए सेवा अनुबंध

यह संविदा अनुबंध दिनांक .............................. माह ..........................वर्ष ...............................को एक पक्ष के रूप में म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नंबर दो, शक्ति भवन, पोस्ट विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर, म.प्र.) के मुख्य अभियंता (.............................................)/कार्यालय प्रमुख (जो कि इसमें/इसके पश्चात नियोजक अथवा नियोजक कंपनी के रूप में निर्दिष्ट है)

**एवं द्वितीय पक्ष के रूप में**

श्री .................................................. आत्मज श्री ......................................................... निवासी ....................................... तहसील........................ जिला ......................... (म.प्र.), (जो कि इसमें/इसके पश्चात संविदा कार्मिक के रूप में निर्दिष्ट है)

**एवं तृतीय पक्ष के रूप में**

श्री ............................................. आत्मज श्री .................................. निवासी ..................................तहसील ............. ................. जिला .............................. (म.प्र.) (जो कि इसमें/इसके पश्चात जमानतदार के रूप में निर्दिष्ट है।)

के मध्य निष्पादित किया गया।

**जैसा कि** नियोजक द्वारा संविदा आदेश कमांक ..................................................................... दिनांक ...................... ...... द्वारा संविदा पर अनुबंधन प्रस्ताव दिया गया है, जो कि पदनाम (संविदा) .......................................... हेतु अभ्यर्थी द्वारा बिना किसी शर्त के स्वीकार किया गया है।

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार अनुबंध किया जाता है कि.

(1) यह अनुबंध संविदा विस्तार के पश्चात संविदा कर्मी की कार्य पर उपस्थिति दिनांक से तीन वर्ष के लिए निष्पादित माना जावेगा। ,

(2) यह कि संविदा पर नियुक्त श्री/सुश्री ................................................................... पद .................................. ............(संविदा) का दर्जा किसी भी दशा में नियोजक कंपनी सेवक का नहीं होगा एवं न ही वह नियोजक कंपनी में नियमतीकरण का हकदार होगा।

(3) श्री/सुश्री.............................................................. पद ...........................................(संविदा) का नियोजन कंपनी के मध्यप्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित किसी भी कार्यालय में किया जा सकेगा, जिस हेतु पक्षकार 2 पूर्णतः सहमत है।

(4) नियोजन प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निर्धारित तीन वर्ष की अनुबंधित अवधि पूर्ण होने पर संविदा स्वतः में ही समाप्त हो जायेगी, तथापि कंपनी को आवश्यकता होने पर संविदा के तहत नियोजित कर्मी के कार्यप्रदर्शन उत्तम होने पर संविदावधि बढ़ायी जा सकेगी। जिसके लिए संविदा कर्मी को फिर से अनुबंध करना होगा।

(5) संविदा की पर्यवसान (समाप्ति), उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय की लिखित में कम से कम एक माह की लिखित सूचना देकर एवं बिना कोई कारण बताये की जा सकेगी। नियोजक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई ऐसी सूचना के बारे में समझा जायेगा कि वह पर्याप्त सूचना है यदि वह संविदा कार्मिक के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी गई है।

परन्तु, संविदा कार्मिक की सेवायें नियोजक द्वारा बिना किसी सूचना के एक मास के संविदा पारिश्रमिक (Remuneration) का भुगतान करते हुए बिना कोई कारण बताये भी समाप्त की जा सकेगी।

परन्तु, यह और कि नियोजक द्वारा एक मास की अपेक्षित सूचना दिये बिना, संविदा कालावधि की समाप्ति यदि की जाती है तो वह एक मास के संविदा पारिश्रमिक के बराबर भुगतान संबंधित को करेगा/करेगी।

(6) संविदा कार्मिक की सेवायें, नियोजक द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी यदि संविदा कार्मिक नियोजक द्वारा किसी अनाचार/कदाचरण का दोषी पाया जाता/जाती है या इस संविदा के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर उसे सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा करने का दोषी पाया जाता/जाती है।

(7) संविदा पर नियोजित कार्मिक, नियोजक कंपनी की संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 में प्रावधनित नियमों द्वारा शासित होगा।

(8) नियंत्रण कर्ता अधिकारी संविदा कार्मिक का कार्य प्रदर्शन, आचरण इत्यादि के आधार पर प्रत्येक वर्ष कार्यदक्षता प्रतिवेदन तैयार करेंगें। संविदा अवधि में अगले विस्तार का निर्धारण म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा। यदि कार्यदक्षता प्रतिवेदन में संतोषजनक अंक पाने में संविदा कर्मी विफल रहता है, तो संविदा अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा।

(9) म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी, संविदा नियम 2016 में अंकित प्रावधानों में संशोधन विचाराधीन है । अतः संविदा विस्तार पश्चात नियोजन अवधि के दौरान संविदा कार्मिक को उनके द्वारा पूर्व संविदा कार्यकाल में अंतिम आहरित पारिश्रमिक रू.................... (रूपये ................................) प्रतिमाह का भुगतान किया जावेगा। संविदा नियम–2016 के प्रावधानों में संशोधन के पश्चात कार्मिक को तदनुसार निर्धारित पारिश्रमिक नियोजन अवधि के दौरान देय होगा । संविदा कर्मी को महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

(10) संविदा पर नियुक्ति, पेंशन संबंधी किसी भी प्रसुविधा का अधिकार प्रदान नहीं करती।

(11) नियोजक को यह विधिक अधिकार है कि वह संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय संविदा कार्मिक की सेवाओं को समाप्त कर दें यदि, सम्यक रूप से गठित सलाहकार चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संविदा कार्मिक के खराब स्वास्थ्य की वजह से विचारार्थ कालावधि के लिये उसके अयोग्य बने रहने की संभावना है, तो उसकी सेवायें उसे एक मास की सूचना देकर समाप्त कर दी जायेगी। इस प्रकार सेवा समाप्ति की स्थिति में (नियोजक) को संविदा की अनवसित कालावधि के लिये कोई भी प्रतिकर (अधिभार) भुगतान करने का दायित्व नहीं होगा।

(12) संविदा कार्मिक का नियोजक द्वारा चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। इस हेतु यथा विहित जानकारी 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह संविदा नियुक्ति, इस आधार पर तुरन्त रद्द की जा सकेगी।

(13) संविदा कार्मिक को नियोजक कंपनी के नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश, वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा कार्मिकों के मामले में शासन की नीति के अनुसार प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी ।

(14) यदि संविदा कार्मिक उसकी संविदा नियुक्ति आदेश में इंगित नियंत्रक अधिकारी की सम्यक अनुमति के बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहता/रहती है या उल्लेखित दिन या कालावधि से अधिक के अवकाश का उपभोग करता/करती है/अनुपस्थित रहता/रहती है तो उसके संविदा पारिश्रमिक में से ऐसी कालावधि के लिये अनुपातिक पारिश्रमिक की कटौती की जाएगी।

(15) केवल नियोजक कंपनी कर्तव्य पर यात्रा करते समय संविदा कर्मी को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संबंधित श्रेणी के कर्मी हेतु समकक्ष पद के अनुरूप लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि नियोजक द्वारा इस बावद अनुमति एवं अनुशंसा सहित प्रमाणित किया गया है।

(16) संविदा कार्मिक एवं जमानतदार यह प्रमाणित करते हैं कि वह इस हेतु सहमत हैं कि संविदा कार्मिक की किसी भी लापरवाही अथवा किसी कृत्य से यदि नियोजक की किसी भी तरह की संपत्ति अथवा साख आदि का नुकसान होता है तो वे नियोजक को क्षतिपूर्ति हेतु बाध्य होंगे और ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण नियोजक द्वारा किया जावेगा। साथ ही वह सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन किये जाने हेतु बाध्य होगा/होगी।

(17) यदि संविदा कार्मिक द्वारा नियोजक कंपनी को अपने किसी कदाचरण के फलस्वरूप कोई आर्थिक क्षति पहुँचाई जाती है अथवा वह किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त होता है, जिसका (प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव) नियोजक कंपनी को आर्थिक क्षति के रूप में होता है तो उस आर्थिक क्षति की भरपाई संविदा कार्मिक अथवा जमानतदार द्वारा की जावेगी।

(18) संविदा कार्मिक यह सहमति देता है कि वह पूरी निष्ठा, लगन और उसकी संपूर्ण योग्यता, सदाचरण एवं ईमानदारी से निर्धारित प्रशिक्षण अवधि, यदि कोई है एवं उसके उपरांत भी नियमित सेवाएं

प्रदान करेगा/करेगी। वह इस बात की भी सहमति देता है कि वह नियोजक कंपनी के उच्च अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण रूपेण कर्तव्यपरायणता से पालन करेगा और सीधे या परोक्ष रूप से ऐसे किसी भी व्यापार, व्यवसाय अथवा गतिविधि में सेवा अवधि के दौरान लिप्त नहीं होगा जब तक कि वह नियोजक को सेवाऐं देने के लिए बाध्य है। सेवा काल में पूरी गोपनीयता बरतेगा एवं ऐसे कोई कृत्य नहीं करेगा/करेगी जिससे इस कालखंड के दौरान अथवा उसके उपरांत उसको सौंपी गई अथवा उसके ज्ञान में आई नियोक्ता के कार्य व्यापार आदि के संबंध में गोपनीय जानकारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी संस्था को उसके द्वारा ज्ञात हो।

(19) संविदा पर नियोजित व्यक्ति द्वारा अनुबंध की समाप्ति के उपरांत वह नियोजक द्वारा सौंपी गई वस्तुऐं/जानकारी/दस्तावेज अथवा नियोजक से संबंधित वस्तुओं को नियोजक को वापिस सौंपेगा/सौंपेगी।

(20) संविदा पर नियुक्त श्री/सुश्री ........................................................ पद .................................. (संविदा) कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होगा एवं वह कार्यालय में आने व जाने के समय उपस्थिति पंजी में यथा स्थान पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसे नियोजक द्वारा जारी संविदा आदेश में उल्लेखित नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यों/कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

(21) कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त नियम/शर्तों में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय परिवर्तन कर सकती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके तीनों पक्षों ने इस संविदा करार को ऊपर लिखी तारीख..............मास.........वर्ष..........को निष्पादित करके निम्नलिखित की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए और मुख्य अभियंता/............................................................................, मप्रपाट्रांकंलि, जबलपुर (नियोजक) कार्यालय की मुद्रा लगाई गई।

1) गवाह

हस्ताक्षर

नाम ____________________

व्यवसाय ____________________

पता ____________________

____________________

हस्ताक्षर

(संविदा पर नियोजित कार्मिक)

नाम ____________________

पता ____________________

2) गवाह

हस्ताक्षर

नाम ____________________

व्यवसाय ____________________

पता ____________________

1) गवाह

हस्ताक्षर

नाम ____________________

व्यवसाय ____________________

पता ____________________

(हस्ताक्षर जमानतदार)

नाम ____________________

पता ____________________

पेन कार्ड नं. ........

(छायाप्रतिसंलग्न)

2) गवाह

हस्ताक्षर

नाम ____________________

व्यवसाय ____________________

पता ____________________

____________________

**नोटरी द्वारा संविदा कार्मिक एवं जमानतदार के हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन**

____________________ ____________________

हस्ताक्षर
(संविदा पर नियोजित कार्मिक)

(हस्ताक्षर जमानतदार)

अभिप्रमाणित
(नोटरी के हस्ताक्षर एवं सील)

अभिप्रमाणित
(नोटरी के हस्ताक्षर एवं सील)

1) नियोजक का गवाह

हस्ताक्षर

नाम ____________________

पद एवं कार्यालय का नाम __________

हस्ताक्षर नियोजक
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. की ओर से हस्ताक्षर

2) नियोजक का गवाह

हस्ताक्षर

नाम ____________________

पद पद एवं कार्यालय का नाम __________

मुख्य अभियंता (............................)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,..................................

नाम ____________________